सं0 ए-35018/7/20011-प्रशा.1 तार- इनरपावर

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष नं0 23715507, फैक्स नं0 23717519

दिनांक 22.09.2011, 2011.

प्रति-

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(2) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
(3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान ।
(4) सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष ।
(5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव ।
(6) सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति/ सारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान ।
(7) अध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ।
(8) सचिव, पीएसईबी नई दिल्ली।

विषयः प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में, सदस्य (थर्मल) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में सदस्य (थर्मल) के पद की रिक्ति को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर भरे जाने हेतु परिचालित किए जाने का निदेश मिला है ।

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर, भारत सरकार के अपर सचिव की पदेन स्थिति के साथ रू0 22400-525-24500 (संशोधन पूर्व) [रू0 67000-79000 (संशोधित)] का वेतनमान दिया जाता है । पदधारी अन्य भत्ते/लाभ लेने हेतु केन्द्र सरकार के नियमानुसार पात्र होते हैं ।

3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार की जाती है ।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 (5) में प्रावधान है कि प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, आर्थिक अथवा औद्योगिक मामलों का ज्ञान हो तथा इन की समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव हो, तथा वे इसमें सक्षम हों, और कम से कम एक सदस्य निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी में से नियुक्त किया जाएगा अर्थात्-

(क) उत्पादन केंद्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग।
(ख) विद्युत के पारेषण एवं आपूर्ति में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
(ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ।
(घ) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य अथवा वित्त ।

5. (क) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2005 में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो-

(क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर रु0 18400-500-22400 (संशोधन पूर्व) [रू0 37000-67000 + 10,000 का ग्रेड वेतन (संशोधित)] के वेतनमान में या उच्च पद या वेतनमान में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद;

अथवा

कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

(ख) व्यक्ति के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिभाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है ।

(ख) मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है जिन्होंने संबंधित मानदंड के अनुसार अपेक्षित क्षेत्र संबंधी अनुभव के साथ समूह "क" में कुल 30 वर्ष सेवा तथा एसएजी में 3 वर्ष की अर्हक सेवा की हो ।

6. सदस्य (थर्मल) सीईए के पद से जुड़े सभी कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व **अनुबंध-1** में दिए गए हैं ।

7. सदस्य केंद्र सरकार की इच्छित समयावधि तक पद पर रहेंगे । इस पद पर नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी जो कि पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक सीमित होगी । चयनित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी समावेशन हेतु पात्र नहीं होंगे । इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 58 वर्ष होगी ।

8. पदों हेतु आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।

9. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं पात्र सेवारत अधिकारियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-II) (चार प्रतियों में) में इस प्रकार से अग्रेषित करें कि ये रिक्ति के एम्पलायमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 26, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास पहुंच जाएं-

(i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की सत्यापित फोटो प्रतियां ।

(ii) सतर्कता संबंधी अनुमति प्रमाण पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए जो भारत सरकार के उप सचिव से नीचे के पद का न हो) ।

(iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा ।

10. अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा बिना निर्धारित दस्तावेज़ों/सूचना के प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

मधुकर

संलग्नः यथोपरि ।

(मधुकर सूद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23766236.

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

(i) विद्युत मंत्री के निजी सचिव/विद्युत राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
(ii) सचिव (विद्युत) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (आर0ए0) के प्रधान निजी सचिव ।
(iii) एन0आई0सी0, विद्युत मंत्रालय को रिक्ति परिपत्र को मंत्रालय की वेब-साइट पर डालने हेतु । इस परिपत्र को अक्टूबर, 2011 के अंत तक वेब-साइट पर रखा जाए ।

मधुकर

(मधुकर सूद)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध-I

सदस्य (थर्मल), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व

सदस्य (थर्मल)

देश में समग्र ताप विद्युत विकास; ताप विद्युत प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, विकास एवं मूल्यांकन; ताप विद्युत परियोजनाओं का डिजाइन एवं अभियांत्रिकी, गुणवत्ता आश्वासन मानक एवं आयोजना, मॉडल दस्तावेजों एवं मानकों की तैयारी, ताप विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण तथा राख का उपयोग; ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण एवं स्थिरीकरण की मॉनीटरिंग और इसमें शामिल समस्याओं के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव; नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार कार्यक्रम आदि ।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (थर्मल) के पद हेतु आवेदन-पत्र

भाग-।

जीवन वृत्त

1. नाम व पता दूरभाष नंबर सहित		
2. जन्म तिथि (ईस्वीं सन् में)		
3. केंद्र/राज्य सरकार/ मूल संगठन नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि		
4. शैक्षिक योग्यता		
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं । (यदि किसी शैक्षिक योग्यता को नियमों में वर्णित किसी शैक्षिक योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसके प्राधिकारी का उल्लेख करें)	अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं/ अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
	(1) (2) (3)	
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि उपर्युक्त प्रविष्टियों के मद्देनज़र क्या आप पद संबंधी अपेक्षा पूरी करते हैं ।		

7. कालानुक्रम में रोज़गार के ब्यौरे । यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से एक स्वःप्रमाणित कागज संलग्न करें ।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्यों की प्रकृति (विस्तार में)

8. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अनुबंध आधार पर या स्थायी ।	
9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है तो कृपया बताएं- क) आरंभिक नियुक्ति की तिथिः ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की अवधि ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं	
10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्तशासी संगठन घ) सरकारी उपक्रम ङ.) विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान च) अन्य	
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधन पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं	
12. अब प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां	
13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जो आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें । (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (I) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में वर्णित कार्य अनुभव से अधिक अनुभव होने के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं) (नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज संलग्न करें)	

14. टिप्पणियां (आवेदक (I) अनुसंधान प्रकाशन एवं रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाओं (II) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयी मूल्यांकन(III)व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथ संबद्धता और (iv) किसी अन्य सूचना के संबंध में जानकारी दे सकते हैं I) (नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग कागज़ संलग्न करें)	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मेरे जीवनवृत्त का, पद के चयन के समय, चयन समिति के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पताः
दूरभाष/मोबाइल नं0
फैक्स नं0

नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर

भाग-II

(आवेदन- पत्र अग्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

संदर्भ सं0..........................   तारीख.....................

प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) ऊपर उल्लिखित अधिकारी के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित अथवा विचारणीय नहीं है;

(ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है (यदि आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें);

(ग) आज की तारीख में आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)

हस्ताक्षर..........................
नाम..............................
पदनाम..........................
कार्यालय.........................

(आवेदन-पत्र का भाग-II सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सरकार से निम्न पद पर न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)

****